


11/22

पुणवली पेशे हुई। वादी एवं वनील वादी
दोनों अंगु परिभल। जामालय समन न
तीन परतका रकम-रकम कर आवलप
पुनरवाई बाई, लोकिल बाई उपरिभल
नहीं हुका। एमने पुणवली का आवलीका

किया। पूर्व आदेशों के अनुसार
 वकील जी को रजिस्ट्रार की पेश करने
 हेतु पत्रिका अवसर एवं दिनांक 1.9.22
 को अंतिम अवसर प्रदान करने पर भी
 वकील नोटिस पेश नहीं किए गए जो
 ही कारणों से अग्रिम कार्रवाई अतः
 न्यायालय अंतर्गत आदेश-9 दिनांक 3.9.22
 मधीन बाद स्विकृत करने उपरि सतर्कता
 है अतः बाद वाली स्विकृत किया जा रहा
 है पत्रिका के मूल मुद्दे हेतु बाद
 वकील वकील वकील वकील है।


 उपखण्ड अधिकारी
 जालावाड